वैशाली समाहरणालय, हाजीपुर

(जिला प्रोग्राम प्रशाखा, आई0सी0डी0एस0)
बिहार सरकार।
मोबाईल नं0—9431005039
E-mail : dpo.icds.vaisha-bih@gov.in

समेकित बाल विकास सेवाएँ (आई0सी0डी0एस0), वैशाली जिला अन्तर्गत अनुबंध के आधार पर ऑगनवाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका के नियोजन संबंधी विज्ञापन

विज्ञापन संख्या—04 / 2024

सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वैशाली में समेकित बाल विकास सेवाएँ (आँगनवाड़ी सेवाएँ) अन्तर्गत आँगनवाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका के रिक्त पदों पर अनुबंध के आधार पर नियोजन हेतु विभागीय मार्गदर्शिका ज्ञापांक—1846 दिनांक—10.06.2010 एवं संशोधन पत्रांक—5994 दिनांक—31.12.2018 एवं अन्य पत्रों से प्राप्त मार्गनिर्देशों के आलोक में वैशाली जिला अन्तर्गत कार्यरत इच्छुक आँगनवाड़ी सेविकाओं से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किए जाते है।

1. वैशाली जिला में रिक्त 42 पदों पर नियोजन हेतु कोटिवार विवरणी निम्न प्रकार है:—

कमांक	आरक्षण कोटि	रिक्ति की संख्या
1.	अनुसूचित जाति	06
2.	अनुसूचित जन जाति	01
3.	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	09
4.	पिछड़ा वर्ग	05
5.	पिछड़ा वर्ग की महिला	02
6.	आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग	04
7.	अनारक्षित वर्ग	15
	कुल	**42**

2. **रिक्त पदों पर नियोजन हेतु ऑनलाईन आवेदन समर्पित करने की समय—सीमा निम्नवत् है:—**

आवेदन प्राप्ति की तिथि— विज्ञापन की तिथि से 21 दिनों तक आवेदन प्राप्त किया जायेगा। (अन्तिम तिथि-विज्ञापन प्रकाशन के 21वे दिन) को संध्या 5:00 बजे तक प्राप्त आवेदन स्वीकार किये जायेगे। इसके बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे।)

ऑनलाईन आवेदन जिले की अधिकारिक वेबसाईट http://viashali.nic.in के साथ—साथ http://125.16.175.140:88/VacancyList.aspx पर प्रदर्शित है एवं अभ्यर्थी इस वेब पोर्टल पर अपना पंजीकरण कर, आवेदन समर्पित करेंगी।

3 आवेदिका द्वारा पूर्णतः भरे हुए ऑनलाईन आवेदन की एक प्रति सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ संबंधित डाक से जिला प्रोग्राम कार्यालय (आई0सी0डी0एस0, समाज कल्याण विभाग), हाजीपुर समाहरणालय, वैशाली पिन कोड–844101 के पते पर अनिवार्य रुप से प्राप्त होनी चाहिए लिफाफे के उपर बॉयी ओर "ऑगनवाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका पद हेतु आवेदन " लिखना आवश्यक है। आवेदन हाथों–हाथ स्वीकार नहीं किए जायेंगे। बिना ऑनलाईन आवेदन अथवा निर्धारित समय–सीमा के बाद प्राप्त आवेदन विचारणीय नहीं होंगें। आवेदन की एक प्रति अपने पास अवश्य सुरक्षित रख लेंगी।

4. ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के उपरांत आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रमाण–पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति अनिवार्य संलग्न कर भेजना अनिवार्य होगाः–

(1) मैट्रीक परीक्षा के उत्तीणता का प्रमाण–पत्र एवं अंक पत्र। (यदि हो तो, इन्टर स्नातक एवं स्नात्तकोतर परीक्षा के उत्तीणता का प्रमाण एवं अंक पत्र)
(2) अनुमंडल पदाधिकारी द्वरा निर्गत आवासीय प्रमाण–पत्र।
(3) राजपत्रित पदाधिकारी, वैशाली द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र।
(4) **जाति–प्रमाण पत्र** आरक्षित वर्गो के लिए जो लागु हो, यथा–जाति प्रमाण पत्र, क्रीमीलीयर रहित प्रमाण पत्र (अति पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के लिए अनिवार्य है), अर्थिक रुप से कमजोर वर्ग (सामान्य वर्ग हेतु संबंधित प्रमाण पत्र)
(5) **अनुभव प्रमाण पत्र–** अभ्यर्थी को संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा निर्गत कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा जिसमें यह स्पष्ट रुप से अंकित होना चाहिए कि अभ्यर्थी द्वारा कितने वर्षो से सेविका के पद पर कार्य किया गया है।
(6) जिन ऑगनवाड़ी सेविका को राष्ट्रीय पुरस्कार/राज्य पुरस्कार प्राप्त हुआ हो तो, संबंधित प्रमाण पत्र ।
(7) अन्य प्रमाण पत्र जों लागु हो। (दिव्यांगता प्रमाण पत्र आदि)

5. ऑगनवाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका (अनुबंध) के पद पर नियोजन के संबंध में आवश्यक योग्यताः–

(1) **शैक्षणिक योग्यताः–**न्यूनतम योग्यता–मैंट्रिक / समकक्ष उत्तीर्ण
(2) चयन वर्ष की पहली जनवरी को 10 वर्ष का कार्यकाल होना चाहिए अर्थात–01.01.2024 को 10 वर्ष की सेवा होनी चाहिए।
(3) **उम्र सीमाः–** विज्ञापन वर्ष 2024 की पहली जनवरी को न्यूनतम उर्म 21 वर्ष एवं अधिकतम उम्र 45 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम उम्र सीमा में 11 वर्ष की छुट दी जायेगी।

अभ्यार्थी को इस आशय का अन्डरटेकिंग देना अनिवार्य होगा कि वे नियमित नियुक्ति का दावा नही करेगे।

6. वांछित सूचनाऍः–

(1) शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्री को ही मान्यता दी जायेगी।
(2) आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक ही प्राप्त शैक्षणिक योगयता का प्रमाण पत्र ही मान्य होगी।

(3) ऑगनवाड़ी सेविका के रुप में कार्य करते हुए उच्चतर डिग्री प्राप्त करने हेतु विधिवत् अनुमति प्राप्त की गयी है तो आवेदिका को अनुमति प्राप्त करने का पत्र संलग्न करना होगा, तभी उनके उच्चतर डिग्री का अंक जोड़ने पर विचार किया जायेगा।

(4) मैंट्रिक की परीक्षा के प्राप्तांको का प्रतिशत निकालते समय अतिरिक्त **(Extra)** विषयों के अंको को नही जोड़ा जायेगा। मात्र अनिवार्य **(Compulsory)** एवं ऐच्छिक **(Optional)** विषयों को जोड़ा जायेगा।

(5) प्रत्येक अभ्यार्थी को उच्चतर परीक्षाओं (इन्टर, स्नातक एवं स्नातकोत्तर) अके लिए एवं राष्ट्रीय पुरस्कार /राज्य पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थियें को मार्गदर्शिका में निहित प्रावधान के आलोक में अतिरिक्त बोनस अंक दिए जायेगे।

(6) प्रत्येक अभ्यर्थी को 10 वर्ष की निरन्तर सेवा के लिए 10 अंक दिए जाएँगे। उसके पश्चात् सेवा में प्रत्येक अनुवर्ती पूर्ण वर्ष के लिए 1–1 अंक केवल उसी अवधि के लिए देय होगी, जिस अवधि के लिए मानदेय दिया गया हों

(7) विभिन्न श्रोतो से प्राप्त अंको के कुल योग के आधार पर अंतिम योग्यता सूची तैयार कर आरक्षण कोटि के अनुसार जिलास्तरीय चयन समिति द्वारा अनुमोदनोपरान्त रिक्त पदों के आलोक में सर्वाधिक मेधा अंक वाली सेविकाओं की नियुक्ति की जायेगीं

(8) यदि दो सेविकाओं का समान मेधा अंक प्राप्त होते है तो अधिक आयु वाली सेविका को उपर रखा जायेगा।

(9) अनियमितता के आरोप में चयन मुक्त आँगनवाड़ी सेविका, महिला पर्यवेक्षिका के पद पर नियोजन हेतु अयोग्य होंगी।

(10) उप सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या–5543 दिनांक 04.10.2023 के आलोक में अनुबंध पर महिला पर्यवेक्षिका का नियत मानदेय / परिश्रमिक 25000/–रुपये प्रतिमाह निर्धारित है। इसके अतिरिक्त 120/– प्रति आँगनवाड़ी केन्द्र यात्रा भत्ता (अधिकतम 9000/– प्रतिमाह) निर्धारित है।

(11) अंतिम रुप से चयनित अभ्यर्थी को सिविल सर्जन द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है।

नोटः– संयुक्त सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक–4068 दिनांक–28.08.2024 के निदेशानुसार माननीय सर्वोच्य न्यायालय, नई दिल्ली में दायर SLP (C) में पारित आदेश के फलाफल से प्रवुत आरक्षण प्रावधान के तहत नियोजन प्रभावित होगी।

विस्तृत मार्गनिर्देश यथा अर्हता/आवेदन देने की प्रकिया आदि संबंधित बाल विकास परियोजना कार्यालय/जिला प्रोग्राम कार्यालय (ICDS), वैशाली के सूचना पट्टी अथवा वैशाली जिला के अधिकारी वेबसाईट **http://viashali.nic.in** से प्राप्त किया जा सकता है।

6/12

जिला पदाधिकारी
वैशाली।

बिहार सरकार
समेकित बाल विकास सेवाएं (ICDS) निदेशालय, बिहार
(समाज कल्याण विभाग)
द्वितीय तल, इंदिरा भवन, राम चरित्र सिंह पथ, पटना–800001
फोन +91-612-2520960 फैक्स+91-612-2535900 website: www.icdsbih.gov.in

पत्र संख्या :- ICDS/10036/11-2018......5994...... दिनांक......31/12/2018

प्रेषक,

आलोक कुमार, भा.व.से.
निदेशक,
आई.सी.डी.एस.।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी,
सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी,
सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी।

विषय :- **समेकित बाल विकास सेवा योजना अन्तर्गत महिला पर्यवेक्षिका के रिक्त पदों को भरने हेतु अनुबंध के आधार पर नियोजन हेतु विभागीय संकल्प संख्या-1846 दिनांक 10.06.2010 में आंशिक संशोधन के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि समेकित बाल विकास सेवा योजना अन्तर्गत महिला पर्यवेक्षिका के रिक्त पदों को भरने हेतु अनुबंध के आधार पर नियोजन हेतु मार्गदर्शिका विभागीय संकल्प संख्या-1846 दिनांक 10.06.2010 से निर्गत है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या-1-2/2014-CD.I दिनांक 15.09.2015 द्वारा महिला पर्यवेक्षिका के रिक्त पदों का 50 प्रतिशत आंगनवाड़ी सेविकाओं से प्रोन्नति द्वारा एवं शेष 50 प्रतिशत पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने का निदेश है।

साथ ही विषयांकित मार्गदर्शिका संकल्प संख्या-1846 दिनांक 10.06.2010 की कंडिका-IV विशेष अर्हता "अभ्यर्थी को दो पहिये वाले वाहन चलाने की तीन माह के अन्दर सीख लेने की अनिवार्यता होगी" वर्तमान में विचाराधीन थी।

उपरोक्त के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त विभाग द्वारा विभागीय संकल्प संख्या-1846 दिनांक 10.06.2010 में निम्नांकित संशोधन का निर्णय लिया गया -

क्र.	धारा/ नियमावली संख्या	वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
1.	कंडिका-(iv) 1 (क)	जिला स्तर पर स्वीकृत पद के विरूद्ध रिक्त पदों में से 75 प्रतिशत पद जिला स्तरीय चयन समिति के माध्यम से अनुबंध पर सीधे भरे जायेंगे एवं शेष 25 प्रतिशत आंगनवाड़ी सेविकाओं से भरे जायेंगे।	जिला स्तर पर स्वीकृत पद के विरूद्ध रिक्त पदों में से 50 प्रतिशत पद जिला स्तरीय चयन समिति के माध्यम से अनुबंध पर सीधे भरे जायेंगे एवं शेष 50 प्रतिशत आंगनवाड़ी सेविकाओं से भरे जायेंगे।

643

	कंडिका-(viii) 1 (क)	रिक्तियों की अवधारणा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र, संख्या-2803 दिनांक 03.10.2006 के आलोक में यथास्थिति पदों में समूहीकरण की कार्रवाई कर जिला स्तर पर चयन वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या का आकलन कर लेंगे तथा उसे सीधी नियुक्ति एवं आंगनवाड़ी सेविकाओं के लिए कर्णांकित क्रमश: 75 प्रतिशत एवं 25 प्रतिशत पदों में विभक्त कर देंगे। दोनों माध्यम से भरे जाने वाले पदों के आरक्षण रोस्टर के लिए दो अलग-अलग पंजी संधारित की जायेगी। 75 प्रतिशत पदों जिनके विरूद्ध सीधी नियुक्ति की जानी है, का रोस्टर क्रमांक 1 से 100 तक कोटिवार कर्णांकित बिन्दुओं के आधार पर तैयार किया जायेगा। शेष 25 प्रतिशत पदों के लिए भी यही प्रक्रिया अपनायी जायेगी। इन पदों के लिए भी रोस्टर, क्रमांक 1 से 100 तक कोटिवार कर्णांकित बिन्दुओं के आधार पर तैयार किया जायेगा।	रिक्तियों की अवधारणा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र संख्या-2803 दिनांक 03.10.2006 के आलोक में यथास्थिति पदों में समूहीकरण की कार्रवाई कर जिला स्तर पर चयन वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या का आकलन कर लेंगे तथा उसे सीधी नियुक्ति एवं आंगनवाड़ी सेविकाओं के लिए कर्णांकित क्रमश: 50 प्रतिशत एवं 50 प्रतिशत पदों में विभक्त कर देंगे। दोनों माध्यम से भरे जाने वाले पदों के आरक्षण रोस्टर के लिए दो अलग-अलग पंजी संधारित की जायेगी। , 50 प्रतिशत पदों जिनके विरूद्ध सीधी नियुक्ति की जानी है, का रोस्टर क्रमांक 1 से 100 तक कोटिवार कर्णांकित बिन्दुओं के आधार पर तैयार किया जायेगा। शेष 50 प्रतिशत पदों के लिए भी यही प्रक्रिया अपनायी जायेगी। इन पदों के लिए भी रोस्टर, क्रमांक 1 से 100 तक कोटिवार कर्णांकित बिन्दुओं के आधार पर तैयार किया जायेगा।
	कंडिका-(viii) 5 (ङ.)	आंगनवाड़ी सेविका के लिए 25 प्रतिशत कर्णांकित पदों हेतु आवेदन पत्रों की समीक्षा जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा की जायेगी। शेष यथावत।	आंगनवाड़ी सेविका के लिए 50 प्रतिशत कर्णांकित पदों हेतु आवेदन पत्रों की समीक्षा जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा की जायेगी। शेष यथावत।
2.	कंडिका-(vi)	विशेष अर्हता : अभ्यर्थी को दो पहिये वाहन चलाने की तीन माह के अन्दर सीख लेने की अनिवार्यता होगी	विशेष अर्हता : अभ्यर्थी को दो पहिये वाहन चलाने की तीन माह के अन्दर सीख लेने की अनिवार्यता को विलोपित किया जाता है।

विश्वासभाजन

(आलोक कुमार)
निदेशक

644

(15)

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

1846
10/6/10

संकल्प

विषय :– "समेकित बाल विकास सेवा योजना अन्तर्गत महिला पर्यवेक्षिका के रिक्त पदों को भरने हेतु अनुबंध के आधार पर नियोजन हेतु मार्गदर्शिका"।

समेकित बाल विकास सेवा योजना एक केन्द्रीय प्रायोजित, योजना है। इनकी स्थापना पर होने वाले व्यय का 90 प्रतिशत वहन केन्द्र सरकार द्वारा एवं 10 प्रतिशत वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। सम्प्रति राज्य के प्रखंडों एवं शहरी क्षेत्रों के लिए 544 बाल विकास परियोजना स्वीकृत है। समेकित बाल विकास सेवा योजना के कार्यान्वयन का नामिकीय बिन्दु ऑगनवाडी केन्द्र है, जो सामान्यतया प्रत्येक 1000 की जनसंख्या पर ग्रामीण क्षेत्रों एवं 1500 की जनसंख्या पर शहरी क्षेत्रों में स्थापित होता है। इस योजना के कार्यान्वयन में महिला पर्यवेक्षिका की भूमिका अहम होती है, जिन्हें 20–25 ऑगनवाडी केन्द्रों के समूह के समुचित कार्यान्वयन एवं पर्यवेक्षण का दायित्व होता है। बिहार के 544 बाल विकास परियोजनाओं के लिए महिला पर्यवेक्षिकाओं के 3288 पद स्वीकृत है, जिसके विरूद्ध वर्तमान में 254 महिला पर्यवेक्षिकाएँ कार्यरत है एवं 3034 पद रिक्त है। कार्यरत महिला पर्यवेक्षिकाएँ नियमित रूप से नियुक्त है। इनकी मृत्यु/सेवानिवृति के उपरांत रिक्त होने वाले पद संविदा पर नियोजित होने वाली महिला पर्यवेक्षिका के लिए कर्णांकित हो जायेगें। इस योजना के बेहतर संचालन एवं समुचित पर्यवेक्षण के लिए महिला पर्यवेक्षिका के रिक्त पदों के विरूद्ध तत्काल अनुबंध के आधार पर नियोजन किये जाने का प्रस्ताव है।

(i) अनुबन्ध पर नियोजन स्वीकृत/रिक्त पदों के विरूद्ध विज्ञापन के आधार पर आवेदन पत्र ऑन लाईन प्राप्त कर किया जायेगा और ऐसे नियोजन में राज्य के आरक्षण संबंधी अधिनियमों, नियमों एवं अनुदेशों का पालन किया जायेगा।

(ii) जिलावार स्वीकृत तथा रिक्त पदों के आधार पर विभिन्नकोटि के लिए आदर्श रोस्टर प्रणाली के तहत संलेख की कंडिका (viii) की प्रक्रिया के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी। अनुबंध पर नियोजन हेतु अलग से रोस्टर प्रणाली संधारित किया जायेगा।

(iii) अनुबन्ध पर नियोजन के लिए अर्हत्ताएँ :–
- क) अभ्यर्थी केवल महिला हो।
- ख) अभ्यर्थी भारत की नागरिक हो।
- ग) आवेदिका संबंधित जिला क्षेत्र की स्थायी निवासी हो। इसके लिए संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी का आवासीय प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा।

(iv) 1 (क) जिला स्तर पर स्वीकृत बल के विरूद्ध रिक्त पदों में से 75 प्रतिशत पद जिला स्तरीय चयन समिति के माध्यम से अनुबंध पर सीधे भरे जायेगें एवं शेष 25 प्रतिशत पद आंगनबाड़ी सेविकाओं से भरे जाएंगे। महिला पर्यवेक्षिका के लिए अहर्ता निम्नांकित होगी :–

अनिवार्य अर्हता :–
भारत में मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से स्नातक ।
वांछनीय अर्हता :–
निम्नलिखित विषय में स्नातकोत्तर, (न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक) के साथ उत्तीर्ण उम्मीदवारों को बोनस अंक दिये जायेगें :–
(I) समाज शास्त्र (II) समाज कार्य (III) गृह विज्ञानं (IV) मनोविज्ञान (V) बाल विकास एवं पोषण (VI) आहार विज्ञान (VII) श्रम एवं समाज शास्त्र।

समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो किन्तु इसके अंतर्गत तकनीकी शिक्षा की डिग्री (पोलिटेकनिक, यूनानी, शिक्षा आदि) शारीरिक शिक्षा, प्राच्यभाषा/भाषा विशेष से संबंधित डिग्री (मौलवी, उप–शास्त्री) तथा स्वैच्छिक संस्थानों द्वारा प्रदत्त समरूप डिग्री (मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा वर्णित) महिला पर्यवेक्षिका पद पर नियोजन हेतु सम्मिलित नहीं है।

शेष 25 प्रतिशत पद ऑगनवाडी सेविकाओं के लिए कर्णांकिंत होगें। इस कोटि के अन्तर्गत चयन हेतु अहर्ता निम्न प्रकार होगी:–

2 (क) (1) न्यूनतम मैट्रिक या समकक्ष उत्तीर्ण

(2) चयन वर्ष की पहली जनवरी को 10 वर्ष का कार्यकाल ।

(v) उम्र :– चयन के वर्ष की पहली जनवरी को नियोजन की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होगी और अधिकतम उम्र सीमा वही होगी जो राज्य सरकार के अधीन नियुक्तियों हेतु कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाय।

उपरोक्त कंडिका (iv)(2)(क) के अन्तर्गत चयन हेतु अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष होगी।

(vi) **शारीरिक स्वस्थता** : अभ्यर्थी को मानसिक एवं शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ्य होना अनिवार्य है, ताकि अपने कर्तव्यों का दक्षता पूर्वक पालन करने में किसी प्रकार का बाधा का सामना नही करना पड़े। मानसिक एवं शारीरिक अस्वस्थ्यता/विकलांगता का निर्धारण मेडिकल बोर्ड के प्रतिवेदन पर किया जाय न कि चयन समिति के विवेक पर। अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति/योगदान, सहायक सिविल सर्जन के स्तर के पदाधिकारी से निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के उपस्थापन के पश्चात् ही की जायेगी।

विशेष अर्हता : अभ्यर्थी को दो पहिये वाले वाहन चलाने की तीन माह के अन्दर सीख लेने की अनिवार्यता होगी।

(vii) **जिला स्तरीय चयन समिति**– महिला पर्यवेक्षिका के अनुबंध के आधार पर नियोजन के लिए जिला स्तर पर एक चयन समिति होगी, जिसका स्वरूप निम्नवत होगा :–

(1)	जिला पदाधिकारी	अध्यक्ष
(2)	उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी	सदस्य
(3)	असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी	सदस्य
(4)	जिला शिक्षा अधीक्षक	सदस्य
(5)	जिला प्रोग्राम पदाधिकारी	सदस्य सचिव
(6)	जिला पर्षद की निर्वाचित एक महिला प्रधिनिधि	सदस्य
(7)	जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत एक अनुसूचित जाति/जन जाति के पदाधिकारी	सदस्य

(viii) **अनुबंध के आधार पर नियोजन की प्रकिया**

(1) **(क) रिक्तियों की अवधारणा** :– कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र संख्या 2803 दिनांक 03.10.2006 के आलोक में यथास्थिति पदों के समूहीकरण की कार्रवाई कर जिला स्तर पर चयन के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या का आकलन कर लेंगे तथा उसे सीधी नियुक्ति एवं ऑगनबाडी सेविकाओं के लिए कर्णांकिंत कमशः 75 प्रतिशत एवं 25 प्रतिशत पदों में विभक्त कर देंगें। दोनों माध्यम से भरे जाने वाले पदों के आरक्षण रोस्टर के लिए दो अलग–अलग पंजी संधारित की जायेगी।

75 प्रतिशत पदों, जिनके विरूद्ध सीधी नियुक्ति की जानी है, का रोस्टर कमांक 1 से 100 तक कोटिवार कर्णांकिंत बिन्दुओं के आधार पर तैयार किया जाएगा। शेष 25 प्रतिशत पदों के लिए भी यही प्रक्रिया अपनायी जाएगी। इन पदों के लिए भी रोस्टर कमाक 1 से 100 तक कोटिवार कर्णांकिंत बिन्दुओं के आधार पर तैयार किया जाएगा।

उपरोक्त प्रकिया को निम्नप्रकार से उदाहरण के रूप में और स्पष्ट किया जाता है :–

(i) चूँकि 3034 महिला पर्यवेक्षिकाओं की नियुक्ति की जानी है, अतः सर्वप्रथम इन रिक्तियों अर्थात् 3034 की संख्या को 75:25 के अनुपात में विभक्त किया जाएगा। इस प्रकार सीधी नियुक्ति से कुल लगभग 2276 महिला पर्यवेक्षिकाओं की एवं आंगनबाड़ी सेविकाओं में से कुल 758 महिला पर्यवेक्षिकाओं की नियुक्ति की जाएगी;

(ii) उपरोक्त 2276 एवं 758 रिक्तियों के लिए अलग–अलग रोस्टर पंजी संधारित की जाएगी। प्रत्येक रोस्टर पंजी क्रमांक 1 से प्रारंभ होगी।

(ख) आरक्षण :–(i) बिहार अधिनियम–3/1992 एवं समय–समय पर यथा संशोधित अधिनियमों के आलोक में हस्तगत नियोजन में आरक्षण प्रभावी होगा। बिहार अधिनियम–17/2002 के आलोक में निर्गत परिपत्र संख्या 458 दिनांक 30.09.2002 के अनुसार जिला स्तर पर रोस्टर गठन की कार्रवाई की जा सकेगी।

(ii) निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 के आलोक में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या–62 दिनांक 05.01.2007 एवं समय–समय पर यथा संशोधित परिपत्रों/आदेशों आदि के आलोक में निःशक्त व्यक्तियों को आरक्षण देय होगा।

(iii) बिहार अधिनियम–15/2003 के आलोक में राज्य से बाहर के अभ्यर्थियों को आरक्षण देय नही होगा।

(2) रिक्तियों के रोस्टर विन्दु तैयार होने के पश्चात महिला पर्यवेक्षिका के नियोजन हेतु ऑन लाईन आवेदन आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन जिला स्तर से निर्गत किया जायेगा। विज्ञापन निकाल कर चयन तक की प्रक्रिया के साथ ही रोस्टर बिन्दु के निर्धारण का कार्य भी साथ–साथ पुरा कराया जायेगा।

(3) **प्राप्त आवेदन पत्रों के आलोक में शैक्षणिक योग्यता के आधार पर इस मार्गदर्शिका की कंडिका (viii)(5)(क)(ख)(ग)(घ))(ड़)** के अनुरूप अभ्यर्थियों के मेधा सूची का निर्धारण जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा किया जायेगा।

(4) (क) चयन के विचारार्थ ऑन लाईन आवेदन पत्र, विहित परिशिष्ट–I में देना अनिवार्य होगा तथा इसकी प्रति निबंधित डाक से संबंधित जिला पदाधिकारी को भेजना होगा। विज्ञापन प्रकाशित होने से 21 दिनों के अन्दर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेंगे। ऑन लाईन आवेदन पत्र भरने के उपरांत सभी अभ्यर्थी को जाति प्रमाण पत्र, स्नातक/स्नातकोत्तर आदि परीक्षा के उत्तीर्णता संबंधी प्रमाण पत्र, अंक पत्र की अभिप्रमाणित प्रतियाँ, तथा राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी को इस आशय का अंडरटेकिंग देना अनिवार्य होगा कि वे नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करेंगें।

आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रमाण पत्रों में यदि किसी प्रकार की कमी रह जाती है तो उक्त के आधार पर उस आवेदन को अयोग्य नही किया जायेगा। आवेदक का आवेदन स्वीकृत करते हुए आवेदक को प्राप्ति रसीद निर्गत की जायेगी, जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख होगा कि कौन सा प्रमाण पत्र संलग्न नही है। वांछित प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा आवेदन देने की निर्धारित तिथि एवं समय के पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा।

(ख) आवेदन पत्र प्राप्त होने के अंतिम तिथि के पश्चात् 15 दिनों के अन्दर इस मार्गदर्शिका की कंडिका (viii)(5)(क)(ख)(ग)(घ)(ड) के आलोक में मेधा सूची का निर्धारण किया जायेगा। अंतिम रूप से निर्धारित किये गये सूची पर जिला स्तरीय चयन समिति का अनुमोदन प्राप्त कर चयन परिणाम (Result) चयन समिति के सदस्य सचिव द्वारा जिला पदाधिकारी कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रकाशित किया जायेगा तथा इसकी एक प्रति संबंधित प्रमंडलीय

आयुक्त को भेजी जायेगी। अभ्यर्थियों की योग्यता, जाति, निवास, एवं चरित्र आदि के मूल प्रमाण पत्र की आवश्यक जॉचोपरांत चयनित अभ्यर्थियों को महिला पर्यवेक्षिका के पद पर नियोजन हेतु अनुबंध एकरारनामा करने के लिए लिखित सूचना निबंधित डाक से अथवा हाथों–हाथ भेजा जायेगा।

(ग) अभ्यर्थियों की योग्यता जाति, निवास एवं अन्य प्रमाण पत्रों की जाँच जिला पदाधिकारी द्वारा गठित त्रिसदस्यी समिति द्वारा की जायेगी।योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों के विश्वसनीयता की जाँच से संबंधित बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से करायी जायेगी। प्रमाण पत्र जाली या गलत पाये जाने की स्थिति में उनका चयन अस्वीकृत करते हुए कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

(घ) सदस्य सचिव, जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा अनुमोदित सूची के आलोक में चयनित अभ्यर्थियों से अनुबंध के शर्त्तो के विन्दुओं पर एक एकरारनामा "विहित प्रपत्र" में किया जायेगा। जिसनें एक पक्ष चयनित अभ्यर्थी एवं दूसरा पक्ष सदस्य सचिव, चयन समिति होगें। तदनुसार चयनित अभ्यर्थियों को जिलान्तर्गत परियोजना में पदस्थापन के निमित परियोजना कार्यालय में योगदान देने हेतु जिला पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत नियोजन पत्र हस्तगत करायेंगे। नियोजन पत्र की प्रति संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त एवं निदेशक, आई0सी0डी0एस0 को उपलब्ध करायेंगे। नियोजित अभ्यर्थी नियोजन पत्र निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के यहाँ योगदान करेगें । निर्धारित तिथि के अन्दर योगदान नही करने वाली अभ्यर्थियों का नियोजन स्वतः रद्द समझा जाएगा। किसी अपरिहार्य और गंभीर विचारणीय कारण की स्थिति में योगदान हेतु अधिकतम 30 दिनों का समय देय होगा। उसके पश्चात किसी भी प्रकार के दावा पर कोई विचार नही किया जाएगा।

(ङ) जिला प्रोग्राम पदाधिकारी प्राप्त आवेदन पत्रों को एक पंजी में संधारित किया जायेगा, जिसके प्रथम पृष्ठ पर कुल पृष्ठों का प्रमाणीकरण जिला पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

5 **सीधी नियुक्ति**

(क) **अभ्यर्थियों के चयन हेतु पैनल निम्न रूपेण मेधा अंक के आधार पर तैयार किया जायेगा:–**

शैक्षणिक योग्यता		कुल प्राप्तांक	प्राप्तांक का प्रतिशत
1	मैट्रिक / समकक्ष परीक्षा		
2	इंटरमीडिएट		
3	स्नातक		

(ख) उपरोक्त सभी प्राप्तांक के प्रतिशत को जोड़कर उसमें तीन से भाग देने पर जो प्रतिशत प्राप्त होगा, वह उस अभ्यर्थी का कुल प्राप्तांक होगा। मैट्रिक की परीक्षा के प्राप्तांकों का प्रतिशत निकालते समय अतिरिक्त (extra) विषयों को नही जोड़ा जायेगा। मात्र अनिवार्य (compulsory) एवं ऐच्छिक (optional) विषयों को जोड़ा जायेगा। उदाहरण स्वरूप अनिवार्य विषय गणित, विज्ञान, ऐच्छिक विषय – कम्प्युटर, अतिरिक्त विषय – तर्कशास्त्र।

मैट्रिक की परीक्षा के प्राप्तांकों का प्रतिशत निकालते समय अतिरिक्त विषय – तर्कशास्त्र के अंक को छोड़कर अनिवार्य (compulsory) एवं ऐच्छिक (optional) विषयों के अंक कुल प्राप्तांक होंगे।

(ग) मार्गदर्शिका की कंडिका (iv) (i) (क) के तहत वांछनीय अर्हता के वर्णित विषयों में स्नातक अथवा स्नातकोत्तर अभ्यर्थियों को क्रमशः 5 एवं 10 बोनस अंक (अलग–अलग) दिये जायेगें।

मेधा सूची तैयार करने के लिए 3 अभ्यर्थियों को दिये जाने वाले अंक का उदाहरण निम्नप्रकार से स्पष्ट किया गया है –

उदाहरण 1 मान लिया जाय कि कुमारी रीता की योग्यता एवं प्राप्तांक निम्नप्रकार है –

मैट्रिक – 62 प्रतिशत

इंटर – 73 प्रतिशत

स्नातक – 61 प्रतिशत

कुमारी रीता के कुल अंक की गणना निम्न प्रकार की जायगी। इन्हें निर्धारित अर्हता के वांछनीय सूचीवद्ध विषय में स्नातक उत्तीर्ण रहने के कारण 5 बोनस अंक दिया जायगा, परंतु निर्धारित अर्हता के वांछनीय सूचीबद्ध विषय में स्नात्कोत्तर में उत्तीर्ण नहीं रहने के कारण 10 बोनस नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार इनका कुल अंक 70.33 प्रतिशत निर्धारित हुआ।

अभ्यार्थी	मैट्रिक	इंटर	स्नातक	अंको की गणना						
				मैट्रिक	इंटर	स्नातक	औसत अंक (5+6+7)	स्नातक के लिए बोनस अंक	स्नातकोत्तर के लिए बोनस अंक	कुल अंक
							8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7				
कुमारी रीता	62	73	61	62	73	61	65.33	5 (कंडिका 1 (क) के निर्धारित अर्हता के वांछनीय सूचीबद्ध विषय)	–	70.33

उदाहरण 2 मान लिया जाय कि मीरा कुमारी की योग्यता एवं प्राप्तांक निम्न प्रकार है –

मैट्रिक – 72 प्रतिशत

इंटर – 76 प्रतिशत

स्नातक – 48 प्रतिशत

मीरा कुमारी के कुल अंक की गणना निम्न प्रकार की जायगी। इन्हें निर्धारित अर्हता के वांछनीय सूचीवद्ध विषय में स्नातक उत्तीर्ण रहने के कारण इन्हें 5 बोनस अंक दिया जायगा एवं निर्धारित अर्हता के वांछनीय सूचीबद्ध विषय में स्नातकोत्तर में उत्तीर्ण रहने के कारण 10 बोनस अंक दिया जायेगा। इस प्रकार इनका कुल अंक 75.33 प्रतिशत निर्धारित हुआ।

अभ्यार्थी	मैट्रिक	इंटर	स्नातक	अंको की गणना						
				मैट्रिक	इंटर	स्नातक	औसत अंक (5+6+7)	स्नातक के लिए बोनस अंक	स्नातकोत्तर के लिए बोनस अंक	कुल अंक
							8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7				
मीरा कुमारी	72	76	48	72	76	48	65.33	5 (कंडिका 1 (क) के निर्धारित अर्हता के वांछनीय सूचीबद्ध विषय)	10(कंडिका 1 (क) के निर्धारित अर्हता के वांछनीय सूचीबद्ध विषय)	75.33

उदाहरण 3 मान लिया जाय कि सीमा कुमारी की योग्यता एवं प्राप्तांक निम्नप्रकार है –

मैट्रिक – 65 प्रतिशत

इंटर – 53 प्रतिशत

स्नातक – 54 प्रतिशत

सीमा कुमारी के कुल अंक की गणना निम्न प्रकार की जायगी। इन्हें निर्धारित अर्हता के वांछनीय सूचीवद्ध विषय में स्नातक उत्तीर्ण नहीं रहने के कारण इन्हें 5 बोनस अंक नहीं दिया जायेगा एवं

निर्धारित अर्हता के वांछनीय सूचीबद्ध विषय में स्नातकोत्तर में उत्तीर्ण नहीं रहने के कारण 10 बोनस अंक नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार इनका कुल अंक 57.33 प्रतिशत निर्धारित हुआ।

अभ्यार्थी	मैट्रिक	इंटर	स्नातक	अंको की गणना						
				मैट्रिक	इंटर	स्नातक	औसत अंक (5+6+7)	स्नातक के लिए बोनस अंक	स्नातकोत्तर के लिए बोनस अंक	कुल अंक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
सीमा कुमारी	65	53	54	65	53	54	57.33	—	—	57.33

(घ) अभ्यर्थियों को कंडिका viii(5)(ख) के तहत प्राप्त कुल प्राप्तांक में उपरोक्त बोनस अंक जोड़कर मेधा अंक निर्धारित किये जायेंगे। इस प्रकार प्राप्त मेधा अंको के आधार पर आरक्षण कोटि के अनुसार मेधा सूची बनाकर रिक्त पदों के आलोक में सर्वाधिक मेधा अंक वाली अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जायेगी, यदि दो उम्मीदवारों को समान मेधा अंक प्राप्त होते है तो अधिक आयु वाली अभ्यर्थी को उपर रखा जायेगा।

(ङ) **ऑगनबाडी सेविका से नियुक्ति :–**

ऑगनवाडी सेविका के लिए 25 प्रतिशत कर्णांकित पदों हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की समीक्षा जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा की जायेगी, तथा निम्नलिखित रीति से इन अभ्यर्थियों की एक योग्यता सूची आरक्षण के नियमों के तहत कोटिवार तैयार की जायेगी।

प्रत्येक अभ्यर्थी को 10 वर्ष की निरंतर सेवा के लिए 10 अंक और उसके पश्चात सेवा के प्रत्येक अनुवर्ती पूर्ण वर्ष के लिए 1–1 अंक दिये जायेगें। यह सेवा केवल उसी अवधि के लिए देय होगी जिस अवधि के लिए मानदेय दिया गया हो। राष्ट्रीय पुरस्कार एवं राज्य पुरस्कार प्राप्त ऑगनबाडी सेविका को क्रमशः 10 एवं 5 अंक अतिरिक्त दिये जायेगें।

शैक्षणिक योग्यता के आलोक में प्रत्येक अभ्यर्थी को उच्चतर परीक्षा (इण्टर/स्नातक/स्नातकोतर) में प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी या तृतीय श्रेणी प्राप्त करने के लिए अलग–अलग क्रमशः 10 बोनस अंक या 5 बोनस अंक या 3 बोनस अंक अतिरिक्त दिये जायेगें।

उपरोक्त आधार से प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर अंतिम योग्यता सूची तैयार कर आरक्षण कोटि के अनुसार रिक्त पदों के आलोक में सर्वाधिक मेधा अंक वाली सेविकाओं की नियुक्ति की जायेगी। यदि दो सेविकाओं को समान मेधा अंक प्राप्त होते है तो अधिक आयु वाली सेविका को उपर रखा जायेगा।

(च) उपरोक्त कंडिका (viii) 5 (क)(ख)(ग)(घ)एवं(ङ) के आलोक में तैयार मेधा सूची को कंडिका (viii)4(ख) के अनुरूप सार्वजनिक तौर पर प्रकाशित किया जायेगा। एक सप्ताह तक किसी भी प्रकार की आपत्ति के लिए सदस्य सचिव, चयन समिति के कार्यालय में दर्ज करने का समय दिया जायेगा। प्राप्त आपत्ति का निराकरण कर सदस्य सचिव मेधा सूची को अंतिम रूप देगें एवं उस पर चयन समिति का अनुमोदन प्राप्त कर चयन संबंधी कार्रवाई करेगें।

(छ) अनुबंध की अवधि एक वर्ष के लिए होगी। अनुबंध अवधि की समाप्ति पर संतोषप्रद कियाकलाप एवं पद की आवश्यकता के आलोक में पुनः अनुबंध किया जा सकेगा। परियोजना समाप्त होने पर अनुबंध स्वतः समाप्त हो जायगा।

(ज) अनुबंध के आधार पर नियोजित महिलाएँ सरकारी सेवक नही मानी जायेगीं और सरकारी सेवक हेतु अनुमान्य किसी भी सुविधा की वे हकदार नही होगीं। अनुबंध के आधार पर नियोजन के बाद सरकारी सेवा में नियमितीकरण का उनका कोई भी दावा नही बनेगा। परियोंजना के किसी अन्य पद पर भी कोई दावा मान्य नही होगा।

(ix) **चयन संबंधी अनियमितता पर कार्रवाई :–**

इस मार्गदर्शिका के आलोक में नियोजन/चयन संबंधी अनियमितता के मामलों में संबंधित प्रमंडलीय

आयुक्त के यहाँ अधिकतम 1 माह के अंदर कोई भी शिकायत की जा सकेगी। शिकायत के आलोक में संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त जॉचोपरांत संबंधित पक्षो को सुनकर एक माह के अंदर मुखर आदेश (Speaking Order) पारित करेंगे तथा उनका निर्णय अंतिम माना जायेगा। यदि जॉचोपरांत यह पाया जाता है कि महिला पर्यवेक्षिका का चयन इस मार्गदर्शिका के प्रावधानों के प्रतिकूल किया गया है तो प्रमंडलीय आयुक्त उक्त महिला पर्यवेक्षिका के चयन को रद्द करते हुए, संबंधित जिला पदाधिकारी को सूचित करेगें कि वे सरकारी निर्देश/मापदण्डों के आलोक में सही अभ्यर्थी का पुनः चयन करें।

(x) अनुबंध करने की प्रक्रियाः–

(क) बाल विकास परियोजना पदाधिकारी उपर्युक्त सूचक के आधार पर समेकित रूप में योग्य/अयोग्य महिला पर्यवेक्षिका की सूची/प्रस्ताव अनुमोदन हेतु अनुबंध समाप्त होने के दो माह पूर्व चयन समिति के सदस्य सचिव को उपलब्ध करायेगें ।

(ख) सदस्य सचिव, चयन समिति, सेवा संबंधी प्राप्त सूची/प्रस्ताव पर अनुबंध समाप्त होने के पूर्व जिला स्तरीय चयन समिति का अनुमोदन प्राप्त कर महिला पर्यवेक्षिका अनुबंध संबंधी आदेश जिला पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत करेगें तथा इसकी सूचना संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त एवं निदेशक, आई0सी0डी0एस0 को सूची सहित उपलब्ध करायेगें।

(xi) महिला पर्यवेक्षिका की अनुमान्यता/प्राप्तियां :

(क) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संख्या 2401 दिनांक 18.07.2007 के आलोक में समिति द्वारा स्वीकृत महिला पर्यवेक्षिका को निर्धारित नियत **पारिश्रमिक** 12000/–(बारह हजार) रूपये प्रतिमाह की दर से देय होगा (कार्यवाही की प्रति संलग्न)। इसके अतिरिक्त प्रति ऑगनबाड़ी केन्द्र 40 रू0 की दर से यात्रा भत्ता अधिकतम 1000/– (एक हजार) रू0 प्रतिमाह अनुमान्य होगा। उक्त राशि का भुगतान उसी शीर्ष से होगा जिस शीर्ष के अन्तर्गत महिला पर्यवेक्षिका का पद स्वीकृत होगा।

(ख) (i) राजपत्रित अवकाश एवं रविवार को छोड़, वर्ष में 12 दिनों का (सवैतनिक) आकस्मिक अवकाश अनुमान्य होगा।

(ii) मातृत्व अवकाश का लाभ निर्धारित नियत वेतन की आधी राशि पर अधिकतम दो माहों का देय होगा।

(xii) प्रशिक्षण : राज्य सरकार इनके पेशागत ज्ञान एवं कौशल के लिए समय–समय पर सवैतनिक जॉब/रिफ्रेशर प्रशिक्षण, की व्यवस्था करेगी जिसमें भाग लेना और उत्तीर्ण होना इनके लिए अनिवार्य होगा।

(xiii) प्रशासनिक नियंत्रण :

संविदा पर नियोजित महिला पर्यवेक्षिका का प्रमंडल स्तर पर संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिला स्तर पर नियंत्री पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी होगें। परियोजना स्तर पर महिला पर्यवेक्षिकाऐं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के निगंत्रण एवं मार्गदर्शन में कार्य करेंगी। किन्तु सारी प्रशासकीय एवं नियंत्री शक्तियाँ सरकार में निहित रहेगी।

(xiv) अनुबंध की समाप्ति (Termination):–

क) इस प्रकार का नियोजन, संविदा अवधि समाप्ति के पूर्व, उभय पक्षों द्वारा एक माह की पूर्व सूचना देकर समाप्त किया जा सकेगा।

ख) महिला पर्यवेक्षिका द्वारा अपने कर्तव्यों के संतोषप्रद निर्वहन नही किये जाने, उनके द्वारा अनियमितता बरते जाने, अनाधिकृत अनुपस्थित रहने, अपराधिक घटना में शामिल होने अथवा एकरारनामें की शर्त्तो का उल्लंघन करने की स्थिति में उनसे स्पष्टीकरण पूछकर संबंधित जिला पदाधिकारी अनुबन्ध मुक्त करने का आदेश पारित करेंगे। इनके आदेश के विरूद्ध अपील संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष एक माह के अन्दर की जा सकेगी। प्रमंडलीय आयुक्त के आदेश के विरूद्ध कोई अपील नही की जा सकेंगी।

ग) उपरोक्त कंडिका (ख) में उल्लिखित आरोपों के आधार पर संबंधित साक्ष्यों से संतुष्ट हो कर स्पष्टीकरण प्राप्त करने के पश्चात संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त महिला पर्यवेक्षिका का अनुबंध समाप्त करने का

आदेश पारित करेंगे।

घ) उपरोक्त प्राधिकारों के अतिरिक्त उपरोक्त कंडिका (ख) में उल्लेखित बिन्दुओं पर जांचोपरान्त महिला पर्यवेक्षिका को सेवा मुक्त करने का अधिकार सरकार में भी सुरक्षित रहेगा।

(xv) निर्वचन (Interpretation) :– यदि इस मार्गदर्शी सिद्धान्त के किसी कंडिका के निर्वचन में कोई शंका उत्पन्न होने एवं नियोजन संबंधी उपरोक्त दिशा–निर्देश से अलग कोई भी दृष्टांत या मामला प्रकाश में आता है तो उस मामले को संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा निदेशक, आई0सी0डी0एस0 के संज्ञान में लाया जायेगा। जिस पर निदेशक, आई0सी0डी0एस0 समीक्षोपरांत, आवश्यकतानुसार सरकार के अनुमोदनोपरांत निर्देश जारी करेगें।

xvi) राज्य सरकार एवं निदेशालय की शक्तियाँ :

(क) समय–समय पर, यथा आवश्यकता, राज्य सरकार मार्ग निर्देश दे सकेगी।

(ख) यथा आवश्यकता एवं निश्चित व्यतिकम पर वित्तीय परिलब्धियों का पुनरीक्षण/ मूल्यांकन करा सकेगी।

(ग) इस संकल्प द्वारा निर्दिष्ट किसी शर्त का उल्लघंन करने/ वित्तीय अनियमितता के प्रमाणिक साक्ष्य मिलने, नियोजन में अनियमितता पाये जाने पर, निदेशक, आई0सी0डी0एस0/प्रधान सचिव, समाज कल्याण एवं सरकार संबंधित महिला पर्यवेक्षिकाओं के नियोजन को रद्द करने का निदेश दे सकेगी तथा अनियमितता संबंधी राशि की वसूली के लिये विधि सम्मत कार्रवाई कर सकेगी।

(घ) संकल्प के किसी प्रावधान को संशोधित/विलोपित कर सकेगी।

(XVII) इस संकल्प में निहित निर्देश बिहार राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू माने जायेगें।

(XVIII) पूर्व में इस कार्यालय के पत्र ज्ञापांक–09/आई0सी0डी0एस0–1068/2001–1221, दिनांक–01.04.08 विलोपित समझा जाएगा।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतिलिपि संबंधित पदाधिकारियों, कार्यालयों एवं जिला परिषदों को भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(वी0 के0 वर्मा)
सरकार के प्रधान सचिव
समाज कल्याण विभाग

(7)

ज्ञापांक – 09/आई.सी.डी.एस.–1068/2001 1846 दिनांक– 10/6/10
प्रतिलिपि – अधीक्षक, राजकीय मुद्रण भंडार एवं प्रकाशन, गुलजारबाग, पटना/अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसका प्रकाशन अगले अंक में किया जाय तथा इसकी 50 प्रति आई.सी.डी.एस. निदेशालय, पटना को उपलब्ध करायी जाय।

(वी० के० वर्मा)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक – 09/आई.सी.डी.एस.–1068/2001 1846 दिनांक– 10/6/10
प्रतिलिपि – महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/प्रधान सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय/मुख्य सचिव, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, समाज कल्याण के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(वी० के० वर्मा)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक – 09/आई.सी.डी.एस.–1068/2001 1846 दिनांक– 10/6/10
प्रतिलिपि – सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी/उप विकास आयुक्त/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी/जिला शिक्षा अधीक्षक/जिला पर्षद/बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(वी० के० वर्मा)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक – 09/आई.सी.डी.एस.–1068/2001 1846 दिनांक– 10/6/10
प्रतिलिपि – प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद की दिनांक–08.06.10 को मद संख्या–20 के रूप में स्वीकृत संलेख के कार्यान्वयन के अनुपालन में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(वी० के० वर्मा)
प्रधान सचिव

(6)

क 16.02.2010 को प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग के अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक की कार्यवाही:–

परिस्थिति :–

1. प्रधान सचिव, समाज कल्याण
2. प्रधान सचिव, वित्त विभाग / मनोनित प्रतिनिधि
3. प्रधान सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 2401 दिनांक 18.07.2007 के आलोक में बैठक रम्भ हुई।

समेकित बाल विकास सेवा योजना एक केन्द्र प्रायोजित योजना है। इस योजनान्तर्गत स्थापना पर नेयात्ना व्यय का 90 प्रतिशत भारत सरकार तथा 10 प्रतिशत राज्य सरकार बहन करती है। संप्रति राज्य मे सभी खंडों में बाल विकास परियोजना संचालित है, जिसके माध्यम से 6 माह से 6 वर्ष के बच्चें, गर्भवती एवं शिशुवती ताएँ तथा किशोरी बालिकाओं को प्रमुख छः सेवाएँ मुहैया कराई जाती है। बाल विकास परियोजना में लम्बें अर्से महिला पर्यवेक्षिका का पद रिक्त है। इन परियोजनाओ में कार्यकम को अधिक प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन हेतु हिला पर्यवेक्षिका का नियुक्ति अनुबंध के आधार पर करने का निर्णय लिया है। महिला पर्यवेक्षिका का वेतनमान पुनरिक्षित – 5000–8000 तथा षष्ट्म वेतन पुनरिक्षित 9300–34800 है।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 2401 दिनांक 18.07.2007 की कंडिका 4 के लोक में महिला पर्यवेक्षिका का अपुनरीक्षित एवं पुनरीक्षित वेतमान का भुगतान का गणना निम्न प्रकार है :–

क0 सं0	मद का नाम	वेतनमान 5000–8000 (अपुनरिक्षित)	वेतनमान 9300–34800 (पुनरिक्षित)
1.	प्रारम्भिक स्टेज का वेतन	5000.00	9300.00
2.	महगाई वेतन / ग्रेड पे	2500.00	4200.00
3.	महगाई भत्ता (73 %) / (27 %)	5475.00	3645.00
अन्य श्रेणी भत्ते			
4	मकान भाडा भत्ता	375.00	675.00
5.	चिकित्सा भत्ता	100.00	200.00
6.	परिवहन भत्ता	——	400.00
	कुल योग	13450.00	18420.00

समिति का निर्णय :– समिति ने बाजार दर को देखते हुए महिला पर्यवेक्षिका का अनुबंध के आधार पर नियोजन हेतु पारिश्रमिक की अधिकतम राशि कुल 12000/–रू0 (बारह हजार रूपये) मात्र रूपये प्रति माह की दर से यात्रा भत्ता के अतिरिक्त निर्धारित करने की स्वीकृति प्रदान की है।

प्रधान सचिव,
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार
विभाग

प्रधान सचिव / मनोनित
वित्त विभाग \ प्रतिनिधि

प्रधान सचिव
समाज कल्याण
16/2

समाज कल्याण विभाग
(बाल विकास सेवा योजना)
आवेदन पत्र

केवल कार्यालय उपयोग हेतु

आवेदन भरें

जिला कार्यालय में प्राप्ति की तिथि

विज्ञापन सं0

अनुक्रमांक

पद का नाम

ध्यातव्यः उपयुक्त रिक्त आयतों को नीले/काले बॉल प्वाइंट पेन से भरें।

(i) नाम (हिन्दी में)

अंग्रेजी में (In Block Letters)

(ii) पिता/पति का नाम अंग्रेजी में (In Block Letters)

(iii) माता का नाम(अंग्रेजी में) (In Block Letters)

(iv) जन्म तिथि (अंकों में) दिन महीना वर्ष

(iv) लिंग 1 – पुरुष 2 – स्त्री

(v) दिनांक को उम्र

वर्ष महीना दिन

(i) क्या आप भारत के नागरिक है ? 1 – हाँ 2 – नहीं

(ii) क्या आप बिहार राज्य के स्थायी अधिवासी है ?

(iii) क्या आप किसी आरक्षित वर्ग से है ? 1 – हाँ 2 – नहीं

(iv) यदि हाँ, तो संबंधित आरक्षित वर्ग का कोड रिक्त आयत में भरें ?

02 – अ0जा0 03 – अ0ज0जा0 04 – अ0पि0व0 05 – पि0व0 06 – पि0महिला

(v) आपके संबंधित आरक्षित वर्ग के अधीन आपकी संबंधित जाति का नाम

(i) क्या आप शारीरिक रूप से विकलांग है ? 1 – हाँ 2 – नहीं

यदि हाँ, तो विकलांगता का स्वरूप अंकित करें

1 – नेत्रहीन 2 – बहरा, गूंगा 3 – शारीरिक विकलांग

विकलांगता का प्रतिशत 1 – 40% से अधिक 2 – 40% से कम

(ii) क्या आप बिहार राज्य सरकार के सेवक है ? 1 – हाँ 2 – नहीं

(iii) क्या आप भूतपूर्व सैनिक है ? 1 – हाँ 2 – नहीं

यदि हाँ, तो

पदनाम कार्यालय स्थान

(iv) क्या आप विज्ञापन में अंकित आवश्यकता/न्यूनतम शैक्षिक योग्यता धारण करते है ? 1 – हाँ 2 – नहीं

क्या आप सजायाप्ता है अथवा आपने दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 8 के अन्तर्गत शांति या अच्छे व्यवहार के लिये कभी बंध पत्र दाखिल किया है ? 1 – हाँ 2 – नहीं

दूरभाष संख्या (एस0टी0डी0 कोड सहित) –

मोबाइल संख्या

ई–मेल

पूरा नाम एवं पत्राचार का पता

नाम : ....

पता : ....

....

....

जिला .... राज्य ....

पिन कोड

पासपोर्ट आकार का फोटो अच्छी तरह चिपकाएँ और उसपर नाम या हस्ताक्षर अंकित न करें।

उम्मीदवार का हस्ताक्षर :

हिन्दी में

अंग्रेजी में

स्थायी पता

पिन कोड

जिला | राज्य

)7. (i) वैवाहिक स्थिति 1 – हाँ 2 – नहीं (iii) क्या आप हिन्दी लिखना–पढ़ना जानते हैं ? 1 — हाँ 2 – नहीं

)8. शैक्षिक योग्यता :

उत्तीर्ण परीक्षा	संकाय विषय	सत्र	उत्तीर्णता	संस्थान	बोर्ड / विश्वविद्यालय	प्राप्तांक पूर्णांक	प्रतिशत
प्रवेशिकोत्तीर्ण							
इन्टरमिडिएट / +2							
स्नातक सामान्य प्रतिष्ठा							
स्नातकोत्तर							

पूर्व नियोजन का विवरण :

पद का नाम	स्थायी / अस्थायी	पदभार ग्रहण करने की तिथि	पद त्याग का कारण	वेतन	नियुक्ति पदा0 (पदनाम)

दो दिनिर्धारकों का पता सहित पूर्ण विवरण जो उम्मीदवार को छः माह से अधिक से जानते हों, पर उससे सम्बन्धित न हो :

(i) .... (ii) ....

....

....

उम्मीदवार का एक शारीरिक पहचान चिह्न :

अन्य कोई सूचना : ....

घोषणा

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन में ऊपर दी गई सूचनाएँ सत्य एवं सही हैं। मैंने किसी प्रकार की जानकारी को नहीं छुपाया है। फिर भी यदि ऊपर में दी गई कोई जानकारी गलत सिद्ध होती है, तो उसके लिए मैं जिम्मेवार होऊँगी और मैं मानती हूँ कि मेरे विरूद्ध वैधानिक/दण्डात्मक कार्रवाई करते हुए मेरे आवेदन को रद्द किया जा सकता है। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं आयोग के सभी नियमों का पालन करने के लिए तैयार हूँ।

पासपोर्ट आकार का फोटो अच्छी तरह चिपकाएँ और इस प्रकार स्वीअभिप्रमाणित करें कि उसका आधा भाग आवेदन पर एवं आधा भाग फोटो पर रहे।।

अनुलग्नक :-

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

तिथि : ....

दिनांक : ....

उम्मीदवार का हस्ताक्षर : हिन्दी में ____________ अंग्रेजी में ____________

(केवल सरकारी सेवकों के लिए)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री/श्रीमती .... दिनांक .... से बिहार/केन्द्र सरकार के अधीन .... के अस्थायी/स्थायी पद पर कार्यरत हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है, इनका चरित्र उत्तम है और यह विभाग इन्हें विज्ञापित पद पर नियुक्ति के लिए विरमित/मुक्त कर सकेगा।

पदाधिकारी का हस्ताक्षर ....

कार्यालय का मुहर एवं तिथि

पदाधिकारी का नाम ....

पदनाम ....

विभाग ....

तिथि ....